

217

93

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर २०१० कैम्प रोवा २०१०



- 1- जगदीश सिंह तनय रामकृपाल वरगाही
- 2- पियारेलाल तनय रामकृपाल वरगाही
- 3- रमदमन सिंह तनय रामकृपाल वरगाही
- 4- वृहस्पति सिंह तनय रामकृपाल वरगाही
- सभी निवासी ग्राम मुर्ती तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधे
- 5- सावित्री सिंह पत्नी राममिलन सिंह
- 6- पंकज सिंह तनय राममिलन सिंह
- 7- सोनू सिंह तनय राममिलन सिंह वरगाही
- 8- कुं पूनम पुत्री राममिलन सिंह वरगाही
- सभी निवासी ग्राम मुर्ती कोठार तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधे
- 9- छोटे सिंह तनय केमला सिंह
- 10- छोठेाल तनय रामधनी सिंह
- 11- बाबूलाल सिंह तनय रामधनी सिंह
- 12- अशोक सिंह तनय प्रेमलाल सिंह वरगाही
- 13- विनोद सिंह तनय प्रेमलाल सिंह वरगाही
- 14- वृजेन्द्र सिंह तनय भैयालाल सिंह वरगाही
- 15- राजेश सिंह तनय भैयालाल सिंह वरगाही
- 16- रामवती पत्नी भैयालाल सिंह वरगाही
- 17- बूदा सिंह पत्नी मानिकलाल सिंह
- 18- सुरेश सिंह तनय मानिकलाल सिंह
- 19- राम सिंह तनय रामसखा सिंह
- 20- सूर्यमान सिंह तनय बद्री सिंह
- 21- गरुण प्रसाद सिंह उर्फ रमेश सिंह तनय मोतीलाल सिंह
- 22- चंदन तनय मोतीलाल सिंह

सभी निवासी ग्राम मुर्ती कोठार तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधे ₹२००००

बनाम

.... आवेदकान

प्रयागदत्त तिवारी तनय रामलखन ब्राह्मण नि० ग्राम मुर्ती पवाई तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधे २०१०

..... अनावेदक

*Signature*

R-1935-II/2

अधिकारी श्री प्रियांका  
यस्ये वी द्वारा प्रस्तुत  
रीवा. दि० 8-6-2012  
Am/ 8/6/2012

27872

Received  
T.C.  
TW

क्या  
देश  
दय  
वं  
यालय  
को  
र  
वश्यक  
राने  
कीर  
आदेश  
रत



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.1935-I/12 जिला- सीधी

जगदीश सिंह वर्मा विरुद्ध प्रयागदास तिवारी

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>जगदीश सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला <u>सीधी</u> के प्रकरण क्रमांक <u>445/निगठ/2008-09</u> में पारित आदेश दिनांक <u>19.4.2010</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, सीवा संभाग सीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29.03.19</u> को कमिश्नर, सीवा संभाग सीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	